उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–645–औ0सं0/2018–64/ए0एस0/2002 दिनांक 15 मार्च, 2018

ई–मेल

सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषय :– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, द्वारा 07 शहरो की विद्युत आपूर्ति हेतु एकीकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से कराये जाने हेतु टेण्डर वापस लेने की माँग पर समस्त ऊर्जा निगमो के कर्मचारी एवं अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 27.03.2018 को पूरे दिन कार्य–बहिष्कार किये जाने की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 07 शहरो की विद्युत आपूर्ति हेतु एकीकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से कराये जाने हेतु टेण्डर वापस लेने की माँग पर **विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 ने** अपने नोटिस सं0–10/संघर्ष दिनांक 08.03.2018 (प्रतिलिपि संलग्न) (जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, विद्युत मजदूर पंचायत, उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इण्टक), उ0प्र0 बिजली मजदूर संगठन, उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ, यू0पी0 बिजली बोर्ड इम्पलाइज यूनियन, विद्युत मजदूर यूनियन उ0प्र0, उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद श्रमिक संघ, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ, विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन कुल 13 यूनियनें सम्मिलित हैं) द्वारा **दिनांक 27.03.2018 को पूरे दिन कार्य–बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है।** विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, का दिनांक 27.03.2018 को पूरे दिन कार्य–बहिष्कार का नोटिस अनुचित व अवैधानिक है।

आप विदित है कि उ0प्र0 सरकार ऊर्जा अनुभाग–02 ने अधिसूचना सं0–1/2018/2267/24–पी–2–17–1(121)/04 दिनांक 04.01.2018 द्वारा उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–30 सन् 1966) की धारा 03 की उपधारा 01 के अधीन ऊर्जा क्षेत्र में समस्त सेवाओ पर हड़ताल निषिद्ध के आदेश निर्गत किये है। अधिसूचना को कारपोरेशन के पृष्ठांकन सं0–33/औ0सं0/2018–159ए/67 दिनांक 06.01.2018 द्वारा प्रेषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उ0प्र0 अधिनियम सं0–30 सन् 1966) की धारा 04, 05, 06 एवं 07 में अवैध हड़ताल की स्थिति में शास्ति (Penalty) दिये जाने का प्राविधान हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3– ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किये जाने के आदेश भी विद्यमान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 27.03.2018 को पूरे दिन कार्य–बहिष्कार किये जाने की नोटिस को दृष्टिगत विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

क्रमश : 2/–

यह भी अनुरोध है कि दिनांक 27.03.2018 को कार्य–बहिष्कार के दृष्टिगत अधिकारियों/कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नही तो वेतन नही"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा कार्य–बहिष्कार में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से कारपोरेशन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या–645–(1)–औ0सं0/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक महोदय, ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), पूर्वान्चल, वाराणसी, पश्चिमांचल, मेरठ, मध्यांचल, लखनऊ, दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को कानपुर विद्युत वितरण निगम लि0।
7. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को दिनांक 27.03.2018 को कार्य बहिष्कार की नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।
9. समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ!

पत्र सं0 10/संघर्ष 08.03.2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव ऊर्जा,
उप्र सरकार,
लखनऊ।

अध्यक्ष,
उप्र पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय :– एकीकृत सेवा प्रदाता के नाम पर सात जनपदों की विद्युत आपूर्ति के निजीकरण के टेण्डर वापस लेने हेतु।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र के उक्त विषयक पत्र सं0 09/संघर्ष दिनांक 05.02.2018 को संदर्भित करने की कृपा करें। इस सम्बन्ध में आपसे दिनांक 28.02.2018 को हुई संक्षिप्त वार्ता में भी संघर्ष समिति की ओर से आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि इन्टीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर 07 जनपदों क्रमशः ऊरई, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, रायबरेली, मऊ एवं बलिया की विद्युत आपूर्ति के निजीकरण के टेण्डर पूरी तरह निरस्त किये जाने चाहिए और इन जनपदों सहित पूरे उप्र में बिजली व्यवस्था के सुधार हेतु बिजली कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कदम उठाये जाने चाहिए।

2. इन्टीग्रेटेड सर्विस प्रोवाईडर के नाम पर उक्त 07 जनपदों में बिजली के कनेक्शन देने, मीटर लगाने, बिजली का बिल देने, बिजली का बिल वसूलने और बिजली बिल में संशोधन करने का प्रस्ताव देने का दायित्व निजी कम्पनी को सौंपा जायेगा जो प्रत्यक्षता बिजली आपूर्ति का निजीकरण है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

3. विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र की आज यहां हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार हम आपके समक्ष एक बार पुनः प्रस्तावित करना चाहतें हैं कि यदि सरकार/प्रबन्धन का वास्तविक उद्देश्य बिजली चोरी रोकना और राजस्व बढ़ाना है तो उपरोक्त सातों जनपदों की बिजली आपूर्ति का निजीकरण करने के बजाये इन जनपदों की विद्युत आपूर्ति का पूर्ण दायित्व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र को दे दिया जाये तो 01 वर्ष में ही हम वांछित सुधार कर दिखाने में पूरी तरह सक्षम है। किन्तु यदि उद्देश्य सुधार के बजाये मात्र निजीकरण है तो हम आपको यह भी सूचित करना चाहते हैं कि इस जन विरोधी कार्यवाही का हम पुरजोर विरोध करेंगे।

अतः हमारा आप से अनुरोध है कि सात जनपदों क्रमशः उरई, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, रायबरेली, मऊ एवं बलिया की बिजली आपूर्ति के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाये, उक्त संदर्भ में जारी सभी टेण्डर वापस लिये जायें और वास्तविक सुधार हेतु इन जनपदों की बिजली आपूर्ति का उत्तर दायित्व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उप्र को सौंपा जाये।

यदि निजीकरण की कार्यवाही पूरी तरह से तत्काल निरस्त करने का निर्णय न लिया गया तो प्रदेश के समस्त ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी और अभियन्ता 27 मार्च, 2018 को पूरे दिन कार्य बहिष्कार करने हेतु विवश होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी।

कार्य बहिष्कार के प्रथम चरण में उत्पादन गृहों, 400/765 केवी परेषण और प्रणाली नियंत्रण(सिस्टम कंट्रोल) की पाली में कार्यरत कर्मचारियों को मुक्त रखा जायेगा।

सादर,

भवदीय

शैलेन्द्र दुबे
संयोजक
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति

राजीव सिंह
महासचिव
उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

गिरीश पाण्डेय
महामंत्री
विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

सदरुद्दीन राना
अध्यक्ष
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

बिपिन प्रकाश वर्मा
प्रमुख महामंत्री
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र

सुहैल आबिद
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन

शशिकान्त श्रीवास्तव
महामंत्री
उप्र विद्युत मजदूर संघ

शम्भु रतन दीक्षित
अध्यक्ष
उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ

परशुराम
महासचिव
रा.वि.प.प्रा. कर्मचारी संघ, उप्र

पी एस बाजपेयी
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

विशम्भर सिंह
महामंत्री
उप्र बिजली बोर्ड इम्प. यू.

राम सहारे वर्मा
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ

पूसेलाल
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर यूनियन उप्र

जी.पी. सिंह
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :-

1. मा0 मुख्यमंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा0 ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि/उप्र जल विद्युत निगम लि/उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।

शैलेन्द्र दुबे